दो साल से नियमों में उलझा नया जेल कानून

- अब तक नियमों की मंजूरी का इंतजार
- खुली जेल और पुनर्वास जैसी व्यवस्थाएं अटकीं

नीलेन्द्र पटेल

भोपाल, 28 अगस्त. प्रदेश में जेल व्यवस्था को आधुनिक और सुधारात्मक बनाने के उद्देश्य से पारित मध्य प्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह अधिनियम, 2024 अभी तक लागू नहीं हो सका है.

विधानसभा ने जुलाई 2024 में कानून पारित किया था और राज्यपाल की मंजूरी 6 अगस्त

2024 को मिल गई थी. हालांकि, इसके क्रियान्वयन के लिए जरूरी नियम अब तक अंतिम रूप लेकर अधिसूचित नहीं हुए हैं. जेल एवं सुधारात्मक सेवाओं के महानिदेशक वरुण कपूर के अनुसार, नियमों का मसौदा तैयार कर जेल विभाग को भेजा गया है. अब इसे राज्य सरकार के स्तर पर विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना होगा. पहले जेल विभाग से मंजूरी, फिर विधि विभाग की जांच और वरिष्ठ सचिव समिति की प्रक्रिया पूरी होगी. इसके बाद नियम मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे. स्वीकृति मिलने के बाद राजपत्र में अधिसूचना जारी होने पर ही कानून प्रभावी हो सकेगा. नया कानून अंग्रेजी शासनकाल के कारागार अधिनियम, 1894, बंदी अधिनियम, 1900 और बंदियों के स्थानांतरण अधिनियम, 1950 की जगह लेगा. इसका मुख्य उद्देश्य जेलों को केवल सजा भुगतने की जगह सुधार और पुनर्वास केंद्र के रूप में विकसित करना है.

यह बदलाव अटके

कानून में वीडियो कांफ्रेंसिंग से अदालत में पेशी, परिवार से वीडियो माध्यम से मुलाकात, दूरस्थ चिकित्सा सुविधा और मोबाइल निष्क्रिय करने जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं का प्रावधान है. ट्रांसजेंडर बंदियों के लिए विशेष प्रावधान, खुली जेलों को बढ़ावा, अच्छे आचरण पर पैरोल जैसी सुविधाएं और निशुल्क कानूनी सहायता भी इसमें शामिल हैं. लेकिन नियमों की मंजूरी और अधिसूचना के अभाव में सुधारात्मक व्यवस्था लागू होने का इंतजार है.

करंट से झुलसे 4 बच्चों के मामले में डीजे चालक पर प्रकरण दर्ज

भोपाल. पिपलानी में ईद मिलाद-उल-नबी के जुलूस के दौरान करंट की चपेट में आकर चार बच्चों के घायल होने के मामले में पुलिस जांच में सामने आया है कि डीजे चालक और लेवर कॉलोनी मेन रोड पर डीजे के ऊपर लगे झंडे की लोहे की रॉड बिजली के तार से टकरा गई, जिससे करंट लगने पर अदनान, अयान, अली और इमरान नीचे गिरकर घायल हो गए. पुलिस ने डीजे चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.

बदमाश ने मंडीदीप में भी अड़ाया था कट्टा

- फरारी में लगातार ठिकाने बदल रहा हिस्ट्रीशीटर
- मुंबई रूट पर भागने की आशंका

नवभारत न्यूज

भोपाल, 28 अगस्त. कजलीखेड़ा में कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले अजय बैरागी के घर और कार पर फायरिंग करने वाला हिस्ट्रीशीटर जीतू यादव अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. फायरिंग के बाद फरार होते समय उसने मंडीदीप में भी एक व्यक्ति को कट्टा अड़ाकर धमकाया था.

इसके बाद उसके मुंबई रूट पर भागने की आशंका जताई जा रही है. जीतू के खिलाफ पहले से 19 संगीन अपराध दर्ज हैं. वह कोलार क्षेत्र का कुख्यात बदमाश है. उसे आपराधिक गतिविधियों के चलते इसी माह जिलाबदर किया गया था. इसके बावजूद वह शहर में सक्रिय रहा. जीतू यादव का नाम पहले भी रंगदारी और धमकी के मामलों में सामने आ चुका है. शाहपुरा की राय गैस एजेंसी के प्रबंधक सुजीत मराठे को उसने रिवॉल्वर दिखाकर धमकाया था. आरोप था कि जीतू एजेंसी का संचालन अपने हाथ में लेना चाहता था. उसने एजेंसी के मैनेजर की कनपटी पर रिवॉल्वर रखकर धमकी दी थी कि एजेंसी का संचालन उसे नहीं सौंपा तो जान से मार देगा. डर के कारण कारोबारी ने एजेंसी बंद कर दी थी और क्षेत्र में गैस सिलेंडरों की सप्लाई तक प्रभावित हुई थी. जीतू यादव का नाम कोलार क्षेत्र में अवैध गैस रिफिलिंग और घरेलू गैस की कालाबाजारी से जुड़े मामले में भी सामने आया था. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 92 सिलेंडर जब्त किए थे. गैस एजेंसी के कारोबार पर दबदबा बनाने और अन्य डिस्ट्रीब्यूटर्स पर प्रभाव जमाने के आरोप भी उस पर लगते रहे हैं.

रक्षाबंधन पर सड़क का तोहफा दें बैरसिया विधायक : कांग्रेस

विशेष संवाददाता

भोपाल, 28 अगस्त.मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण धौलपुरे ने बैरसिया विधायक विष्णु खत्री से विशनखेड़ी गांव की एक महिला की सड़क निर्माण की मांग पूरी करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि विधायक रक्षाबंधन पर बहन को सड़क का तोहफा देकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं.

धौलपुरे ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि हुजूर तहसील के विशनखेड़ी गांव की एक महिला ने विधायक से गांव को जोड़ने वाली अच्छी सड़क बनवाने की मांग की है.उन्होंने कहा कि यह

मांग न तो बड़ी है और न ही अनुचित, बल्कि ग्रामीणों की बुनियादी जरूरत से जुड़ी है.

कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि क्या विधायक रक्षाबंधन के अवसर पर महिला की इस मांग को पूरा करेंगे.उन्होंने कहा कि बहन को भाषण या आश्वासन नहीं, बल्कि गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क चाहिए. धौलपुरे ने विधायक से सड़क निर्माण सुनिश्चित करने की अपील की.

ब्राह्मण समाज ने किया श्रावणी उपाकर्म

नवभारत न्यूज

बैरसिया, 28 अगस्त. सावन माह की पूर्णिमा पर शुक्रवार को ब्राह्मण समाजजनों ने देवलखेड़ा मनकामेश्वर तट वाह्मा नदी के घाट पर श्रावणी उपाकर्म का आयोजन किया. पहले दशाविधि स्नान कर आत्मशुद्धि की. इसके बाद पंडित प्रमोद शास्त्री के आचार्यत्व में नवीन यज्ञोपवीत धारण किया गया. हेमन्दि का श्रवण करने के बाद हवन किया और वर्षभर में हुए दोषों के लिए ब्रहादेव से क्षमा याचना की.

पंडित प्रमोद शास्त्री ने ब्राह्मणों से नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्पित करने व गायत्री मंत्र की माला का जाप करने का आह्वान किया. ब्राह्मण परिषद के

पूर्व अध्यक्ष रविशंकर शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण का परम कर्तव्य है कि वह प्रत्येक वर्ष अपनी आत्मिक तथा बाह्य शुद्धि के लिए श्रावणी उपाकर्म अवश्य करें. इस अवसर पर पंडित हरिवल्लभ शर्मा, हरिशंकर भार्गव, अविनाश उपाध्याय, ओमप्रकाश शर्मा, पूर्व अध्यक्ष रविशंकर शर्मा, विवेक उपाध्याय, पूर्व अध्यक्ष शुभव: शर्मा, अनिल शर्मा (सोहाया) पार्षद कुलदीप शर्मा, कमलेश शर्मा, पंडित नरेंद्र दुबे, नरेश भार्गव, राजू शर्मा, राजेश शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, मुकेश शर्मा, गोलू शर्मा आदि उपस्थित थे.

आरोपी ने अड़ीबाजी कर दुकानदारों से मांगे रुपए

भोपाल. गौतम नगर इलाके में एक युवक ने बाजार में ठेले पर दुकान लगाने वालों से अड़ीबाजी कर रुपए मांगे. बाजार में लोगों के इकट्ठा होने पर आरोपी दुकानदारों को धमकी देते हुए भाग निकला. फरियादी गौरव कबीर (29) निवासी मंगल भवन ने शिकायत दर्ज कराई है. गौरव ने पुलिस को बताया कि वह नारियलखेड़ा चौपाटी में चाय का ठेला लगाता है. गुरुवार को देर रात उसकी दुकान पर आरोपी युवक सिकंदर पहुंचा. सिकंदर ने गौरव से अड़ी डालकर 500 रुपयेमांगे, जिसका गौरव ने विरोध किया. इस दौरान आरोपी ने अब्दुल हफीज, सुरेश जैन, गुड्डू साहू नाम के लोगों के ठेले पलटा दिए.

संपत्तिकर में छूट 31 अगस्त तक मिलेगी

भोपाल. नगर निगम द्वारा संपत्तिकर जमा करने पर 6 प्रतिशत छूट का अभियान भी काफी समय से चलाया जा रहा है. यह छूट वर्ष 2026-2027 के संपत्तिकर को अग्रिम जमा करने पर दी जा रही है. इस छूट का लाभ लेने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है. इसके लिए शनिवार और रविवार को भी जोन और वार्ड कार्यालय खुले रहेंगे.

बारिश में कैद हो जाते हैं भोजपुर के दर्जनों गांव

चार माह तक टूट जाता है शहरों से संपर्क

नवभारत न्यूज

मंडीदीप, 28 अगस्त. भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी और दूरदराज के गांवों में बारिश का मौसम किसी मुसीबत से कम नहीं है. कच्चे रास्तों पर कीचड़ और जलभराव के कारण दर्जनों गांवों का करीब चार माह तक आसपास के गांवों और शहरों से संपर्क प्रभावित रहता है.

सड़कों की हालत इतनी खराब हो जाती है कि स्कूल बसें और अन्य वाहन गांवों तक नहीं पहुंच पाते. कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है. मंडीदीप से सटे पडोनिया, गुराड़िया बखरिया और बरखेड़ा सेतु गांवों में हालात इसकी बानगी हैं. ग्रामीणों के मुताबिक बारिश शुरू होते ही गांवों को जोड़ने वाले कच्चे रास्ते कीचड़ में तब्दील हो जाते हैं. यही स्थिति औबेदुल्लागंज ब्लॉक के कई अन्य गांवों की भी बताई जा रही है.बखरिया की जानवती बाई और कमला बाई ने बताया कि वे पिछले 15 वर्षों से गांव में सड़क निर्माण की मांग कर रही हैं जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगाने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ. बरखेड़ा सेतु की ममता बाई और रानी बाई ने बताया किकीचड़ के कारण स्कूल बसें गांव तक नहीं पहुंचतीं.कई बार बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद करना पड़ता है. बरखेड़ा सेतु निवासी राहुल तोमर ने बताया कि सेतु-बरखेड़ा और जोहरिया मार्ग की स्थिति बारिश में बेहद खराब हो जाती है.

विधायक से कई बार लगा चुके हैं गुहार

ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा से कई बार सड़क सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग की है, लेकिन अब तक उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला.राहुल आदिवासी ने आरोप लगाया कि सुरेंद्र पटवा लंबे समय से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसके बावजूद कई आदिवासी गांव आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित हैं.

बीएचईएल ने भेजा पहला कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर

बीएचईएल संवाददाता

भोपाल, 28 अगस्त. बीएचईएल भोपाल ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की प्रतिष्ठित 6,000 मेगावाट, 800 केवी खावड़ा-नागपुर बाइपोल एचवीडीसी परियोजना के लिए निर्मित पहला 295.1 एमवीए, 400 केवी कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर शुक्रवार को रवाना किया.

ट्रांसफॉर्मर का सफल टाइप टेस्ट पूरा होने के बाद इसे परियोजना स्थल के लिए भेजा

गया. इसके साथ एसी फिल्टर कैपेसिटर बैंक भी रवाना किया गया. यह इकाई बीएचईएल द्वारा इस महत्वपूर्ण एचवीडीसी परियोजना के लिए निर्मित किए जाने वाले कुल 26 कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मरों में पहली है.इसके प्रेषण से परियोजना के तहत निर्धारित संविदात्मक आपूर्ति लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है.बीएचईएल के कार्यपालक निदेशक प्रदीप कुमार उपाध्याय, महाप्रबंधक रूपेश तैलंग, जी.पी. बघेल और एस.के. महाजन सहित वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और परियोजना दल के सदस्य मौजूद रहे.

वरिष्ठ प्रबंधन ने परियोजना टीम को उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उसकी मेहनत, समर्पण और तकनीकी दक्षता की सराहना की. उन्होंने विश्वास जताया कि शेष इकाइयों का निर्माण और प्रेषण भी निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाएगा.

ऑटो में बैठी महिला का पर्स चोरी

भोपाल. निशातपुरा इलाके में आटो में सफर कर रही एक महिला का पर्स चोरी हो गया. पर्स में 5 हजार रुपए मंगलसूत्र था. फरियादी महिला मिश्री बाई पति चैन सिंह (60) निवासी म.न. 62 न्यू जेल रोड शंकर नगर देर शाम ऑटो में बैठकर अपने घर जा रही थीं.मिश्रीबाई ने देखा तो पर्स पर्स गायब था. इसके अलावा बागसेवनिया इलाके में बाइक सवार तीन बदमाश पैदल जा रही स्वाति परमार के हाथ से पर्स और मोबाइल छीनकर भाग निकले.

कब्जा नोटिस

IIFL-HFL ने 'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002' (जिसे आगे 'उक्त एक्ट' कहा गया है) के प्रावधानों और उक्त एक्ट की धारा 13 (12) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए - साथ ही 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002' (जिसे आगे 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 3 के तहत - उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता, गारंटर और मॉर्गेजर (गिरवी रखने वाले) को बकाया राशि चुकाने के लिए एक डिमांड नोटिस जारी किया था। इस राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है। इसके बाद, IIFL-HFL ने 30-11-2025 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के जरिए, उधारकर्ता/गारंटर/मॉर्गेजर से बकाया कर्ज.(जो IIFL-HFL द्वारा दी गई सुविधाओं से उत्पन्न हुए थे) और उनसे जुड़ी अचल संपत्ति से संबंधित अपने सभी अधिकार, मालिकाना हक, हित और लाभ 'एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड' (Arcil) को सौंप दिए। Arcil ने यह काम 'Arcil' - Trust - 2026 - 015' के ट्रस्टी के तौर पर, सिक्योरिटी रिसीट्स के धारकों के फायदे के लिए किया है। इसलिए, इस असाइनमेंट के कारण, अब IIFL-HFL की जगह Arcil' आ गई है। अब Arcil को उधारकर्ता/गारंटर/मॉर्गेजर के खिलाफ सभी तरह की कानूनी कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने का अधिकार होगा। साथ ही, वह उन वित्तीय दस्तावेजों के तहत अपने अधिकारों और लाभों को लागू कर सकेगी - जिसमें गारंटी और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को लागू करना भी शामिल है - जिन्हें उधारकर्ता/गारंटर/मॉर्गेजर ने वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए निष्पादित और निर्मित किया था। क्योंकि उधार लेने वाले/गारंटर/गिरवी रखने वाले ने बताई गई रकम नहीं चुकाई है, इसलिए उधार लेने वाले/गारंटर/गिरवी रखने वाले और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि Arcil के अधिकृत अधिकारी के तौर पर, नीचे बताई गई अचल संपत्ति का कब्जा ले लिया गया है। यह कार्रवाई उस कानून की धारा 13 की उप-धारा (4) और उससे जुड़े नियमों के नियम 8 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "जैसी है, जहाँ है और जो कुछ भी है, उसी हालत में" के आधार पर नीचे दी गई तारीख को की गई है।

उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता का नाम	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	कुल बकाया बकाया राशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि
श्री पंकज राठौर श्रीमती प्रिया राठौर (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10282064)	प्लॉट नंबर 100, महाकाल धाम, 39 ग्राम बिजौरी, तहसील और ज़िला सीहोर, मध्य प्रदेश - 466001। प्रॉपर्टी का एरिया (वर्ग फीट में): जमीन का एरिया, बिक्री योग्य एरिया, सुपर बिल्ट-अप एरिया। प्रॉपर्टी का एरिया: 720.00, 650.00, 720.00।	रू. 874954.88/- आठ लाख चौहत्तर हजार नौ सौ चौवन और अठासी पैसे मात्र	06-01-2026	25-08-2026

खास तौर पर उधार लेने वाले/गारंटर/गिरवी रखने वाले और आम जनता को यह चेतावनी दी जाती है कि ऊपर बताई गई अचल संपत्ति का कानूनी कब्जा Arcil के पास है। SARFAESI एक्ट, 2002 की धारा 13(13) के तहत, उधार लेने वाले/गारंटर/गिरवी रखने वाले या कोई भी अन्य व्यक्ति, इस नोटिस को मिलने के बाद, Arcil की पहले से लिखित मंजूरी के बिना इस अचल संपत्ति को बेचकर, लीज पर देकर या किसी अन्य तरीके से ट्रांसफर या हस्तांतरित नहीं करेगा। इस अचल संपत्ति से जुड़ा कोई भी लेन-देन ऊपर बताई गई रकम के लिए Arcil के अधिकार (चार्ज) के अधीन होगा, जिसमें उस रकम पर कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार भविष्य का ब्याज और उससे जुड़े खर्च, लागत, शुल्क आदि भी शामिल होंगे।

उधार लेने वालों/गारंटर/गिरवी रखने वालों का ध्यान उक्त एक्ट की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है, जो ऊपर बताई गई अचल संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं।

स्थान: भोपाल
दिनांक: 29.08.2026

हस्ताक्षर/- अधिकृत अधिकारी,
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (ट्रस्टी की हैसियत से)

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड CIN No. -U65999MH2002PLC134884

रजिस्टर्ड ऑफिसः द रूबी, 10वीं मंज़िल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028. फोनः +91 2266581300. वेबसाइटः www.arcil.co.in

अधिकारों के प्रति सजग रहें महिलाएं : सुमन

महिलाओं की सुरक्षा एवं न्याय विषय पर संवाद आयोजित

- अधिकारों की जानकारी है आत्मविश्वास का आधार
- मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यक्रम

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 28 अगस्त. मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग के समन्वय एवं जन साहस संस्था के सहयोग से होटल पलाश में महिलाओं की सुरक्षा एवं न्याय विषय पर राज्य स्तरीय रणनीतिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया.

कार्यक्रम में महिलाओं एवं बच्चों के प्रति होने वाली हिंसा एवं अपराधों की रोकथाम, पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण, चिकित्सकीय-विधिक सहायता, पुलिस एवं समुदाय के

बीच समन्वय, विधिक सहायता, पुनर्वास एवं पुनर्समावेशन पर विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श किया गया. मुख्य अतिथि सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर सुमन श्रीवास्तव ने कहा कि अपने अधिकारों की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति के आत्मविश्वास एवं सशक्तिकरण का आधार है. महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हुए विपरीत परिस्थितियों में उपलब्ध विधिक सहायता एवं संस्थागत तंत्र का निर्भीक होकर लाभ उठाना चाहिए. विशिष्ट अतिथि न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार सुनीत अग्रवाल ने कहा कि आर्थिक अथवा सामाजिक परिस्थितियां किसी भी व्यक्ति के लिए न्याय प्राप्त करने में बाधक नहीं बननी चाहिए.

सत्र में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव सुमन श्रीवास्तव, सामुदायिक पुलिसिंग के उप पुलिस महानिरीक्षक डॉ. विनीत कपूर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश की संयुक्त संचालक डॉ. प्रज्ञा तिवारी तथा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी डॉ. मनीषा पटेल सहित विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे.

पश्चिम मध्य रेल — वाणिज्य विभाग-जबलपुर मंडल

मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य), पश्चिम मध्य रेल जबलपुर, भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु निर्धारित ई-बोली आमंत्रित करता है।

सभी लॉट्स के लिए कार्य का प्रकार-फ्रूट एण्ड जूस स्टॉल, **सभी लॉट्स के लिए कैटलॉग क्र.**- JBP-C-Catg-FJS, **सभी लॉट्स के लिए ऑक्शन प्रारंभ होने की तिथि एवं समय**-08.09.2026 (11:00 hrs)

स्टेशन	लॉट क्र.	यूनिट क्र.	ऑक्शन समाप्त होने की तिथि एवं समय
नरसिंहपुर	Catg-JBP-NU-SMU-314-26-1	NU-CS-3 (Fruit & Juice Stall)	08.09.2026-11:30 hrs
जबलपुर	Catg-JBP-JBP-SMU-310-26-1	JBP-CS-17 (Fruit & Juice Stall)	08.09.2026-11:40 hrs

संभावित बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे IREPS वेबसाइट (www.ireps.gov.in) पर E-Auctin Leasing मॉड्यूल देखें। लॉट-वार विवरण उपर्युक्त कैटलॉग के तहत उपलब्ध हैं। ई-बोली सूचना मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य), पश्चिम मध्य रेल जबलपुर के नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध है।

(हस्ता.)
कृते मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य), पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर

Kolhapur Municipal Corporation
Property Tax Department

Tender Notice No. 49
Extension due to Pre-Bid Meeting

Online bids are invited from eligible bidders for Selection of Agency for Providing Services for Assisting Numbering, Survey, and Assessment of all Properties on Revenue Generation Sharing Basis Model and Providing Required Software and Hardware for Kolhapur Municipal Corporation. The tender document containing the terms and conditions and the response of the Kolhapur Municipal Corporation regarding the objections/queries raised during the Pre-Bid Meeting has been published on the www.mahatenders.gov.in portal. The said tender process has been extended up to 09/09/2026.

Sd/-
Commissioner
Kolhapur Municipal Corporation

सं. 25-10/2004/DD-III/NI(RCI)
भारत सरकार
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
5वीं मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-03

भारतीय पुनर्वास परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है।

2. कृपया विस्तृत विज्ञापन के लिए इस विभाग की वेबसाइट – https://depwd.gov.in/ – देखें। आवेदन 'रोजगार समाचार' में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाने होंगे।

CBC 38117/11/0009/2627

चाय की दुकान की आड़ में मादक पदार्थ की तस्करी, गिरफ्तार

भोपाल. क्राइम ब्रांच पुलिस ने गांजा की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. चाय की दुकान चलाने की आड़ में आरोपी इसकी तस्करी करता था. पुलिस के मुताबिक आरोपी विशाल उर्फ बद्री केसवानी (28) निवासी बैरागढ़ के खिलाफ कार्रवाई की गई. आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित पूर्व से प्रकरण दर्ज हैं. आरोपी जमानत पर रहने के बावजूद अवैध गतिविधियों में संलिप्त रहा और उसने गांजा की सप्लाई और बिक्री जारी रखी. आरोपी विशाल को 6 माह के लिए केंद्रीय जेल इंदौर में रखा गया था. क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी के संभावित ठिकानों पर तलाश की. पुलिस को चिरायु अस्पताल के बाहर स्थित उसकी चाय की दुकान से पकड़ा गया. पीआईटी और एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी को केंद्रीय जेल इंदौर में अब दाखिल किया जाएगा.

ऑटो चालक पर हथियार से हमला

भोपाल. मंगलवारा इलाके में एक ऑटो चालक पर अज्ञात व्यक्ति ने नुकीले हथियार से हमला कर दिया. हमले में जख्मी चालक को अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज किया. जानकारी के मुताबिक घायल प्रदीप यादव ने पुलिस को बताया कि वह जहांगीराबाद निवासी है और ऑटो चलाता है. गुरुवार देर रात वह भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेट फार्म नं.06 की तरफ ऑटो से घर जा रहा था. रास्ते में एक होटल के पास दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे थे. प्रदीप ने दोनों के बीच बचाव किया और दोनों वहां चले गये.

पश्चिम मध्य रेल
उप मुख्य विद्युत अभियंता (प्रोजेक्ट) शाखा-भोपाल
निविदा क्रमांक:
BPL-PROJECT-EPC-2026-02
प्रकाशन दिनांक 07.08.2026
शुद्धिपत्र-01

निविदा क्रमांक: BPL-PROJECT-EPC-2026-02 प्रकाशन दिनांक 07.08.2026 हेतु **IREPS Portal** पर शुद्धिपत्र-01 दिनांक 24.08.2025 को प्रकाशित किया गया है। पूर्ण जानकारी रेलवे वेबसाइट "https: //ireps.gov.in" पर उपलब्ध है। कृपया उक्त वेबसाइट को आगे की सूचना के लिए विजिट करे। (हस्ता.)
उप मुख्य विद्युत अभियंता (प्रोजेक्ट) भोपाल

स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर

NAME CHANGE

1, hereby declare that my minor daughter's name is **"Kaashvi Nigam Sengupta"** however, her birth certificate records her name as **Kaashvi Jyotika Nigam Karna Sengupta,** incorporating the names of both parents. My daughter's name is **"Kaashvi Nigam Sengupta".** Following publication, my daughter should be known and recognized by the name **"Kaashvi Nigam Sengupta"** daughter of **Karna Sengupta and Jyotika Nigam.** This name should be recorded in official documents.

Karna Sengupta
Add-House No. 508, Augustus, Damkheda, Kolar Road, Bhopal 462042

कब्जे की सूचना - (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8-(1)

चूँकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से विख्यात) (IIFL-HFL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकताओं को राशि चुकाने के लिए एक माँग नोटिस जारी किया गया था, अतः उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा संपत्ति से संबंधित लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन IIFL HFL द्वारा यहां उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज सहित प्रभारित किया जाएगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, यदि उधारकर्ता बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय "IIFL HFL" की बकाया राशि, सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों का भुगतान कर देता है, तो सुरक्षित संपत्तियां "IIFL HFL" द्वारा बेची या हस्तांतरित नहीं की जाएंगी और सुरक्षित संपत्तियों के हस्तांतरण या बिक्री के लिए "IIFL HFL" द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

उधारकर्ता का नाम /सह-उधारकर्ता	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)	कुल बकाया बकाया राशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि
श्री लखन यदुवंशी श्रीमती रेखा यदुवंशी लखन यदुवंशी (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10631971)	पटवार हल्का नं.55, ख.नं.78, गांव बांसखापा, तहसील आमला, जिला बैतूल, म.प्र. 460551 में स्थित वह पूरी जमीन और उसका हिस्सा; क्षेत्रफल (वर्गफीट में): प्रॉपर्टी का प्रकार: प्रॉपर्टी का क्षेत्रफल: 871	रू. 2,21,583/- दो लाख इक्कीस हजार पाँच सौ तेरासी मात्र	09-04-2026	25-08-2026

अधिक जानकारी के लिए कृपया अधिकृत अधिकारी से संपर्क करें: ब्रांच ऑफिस - 249, द इन्फिनिटी, पहली मंज़िल, एमपी नगर जोन II, तुलसी होटल के पास, भोपाल-462011 / या कॉपो. ऑफिस-प्लॉट नं.98, फेस-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा।

स्थान: भोपाल
दिनांक: 29.08.2026

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,
आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए।

फाइल सं. 16-08/2014-DRC/CCPD(Pt.Vol.II)
भारत सरकार
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
5वीं मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-03

दिव्यांगजन के लिए मुख्य आयुक्त के पद पर नियुक्ति

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार दिव्यांगजन के लिए मुख्य आयुक्त (CCPD) के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है।

2. कृपया विस्तृत विज्ञापन के लिए इस विभाग की वेबसाइट – https://depwd.gov.in/ – देखें। आवेदन 'रोजगार समाचार' में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाने होंगे।

CBC 38117/11/0007/2627

संख्या 26-22/2019-डीडी-III
भारत सरकार
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
5वां तल, बी विंग, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली के अध्यक्ष की नियुक्ति

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय न्यास के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है।

2. कृपया विस्तृत विज्ञापन के लिए इस विभाग की वेबसाइट – https://depwd.gov.in/ – देखें। आवेदन 'रोजगार समाचार' में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाने होंगे।

CBC 38117/11/0011/2627